कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, धौलपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा.शि. ग्रेड–।।।/सी.भ/ वो–।/2017–18 /दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राज कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड।।। भर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर अनूसूचित क्षेत्र(non tsp) के पदो हेतु नियुंक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त निम्नाकित सूची मे आंवटित आशार्थियो को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड।।। को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन मान)नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल –10 मे प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप मे दो वर्ष के प्रोबेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 रूपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड।।। के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Gender	Cat.	Sel. Cat	Address	Posting place	Block	Candidate photo
1	6335	504817	AJAYAB SINGH	ISHAR SINGH	04-Aug-91	MALE	SC	SC	WARD NO.01 V/P SANTPURA SANGARIYA CITY , SANTPURE PIN- 335063 DISTT-HANUMANGARH	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BIJEKAPURA(08080110901)	BASERI	

राज्य सरकार के पत्र क्रमाक प. 8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पैशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुवित एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक–प.17(8)शिक्षा–2/2013 जयपुर दिनांक 15.11.2019 में वर्णित दिशा निर्दशानुसार दिनांक 07.12.2019 को आयोजित परामर्श शिविर में पदस्थापन कर संबंधित सस्थाप्रधान को आदेशित किया जा रहा है कि इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नाकित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा इनके अभाव मे किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करावाया जावेगा । पूर्व से राजकीय सेवा मे सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमाक एफ 7(1)डीओपी/ए–2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप मे 50/–रूपये को नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

3. विवाहित अभ्यर्थियो के मामले में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजियन अनिवार्य करने संबंधि प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो ततसबंधि आश्य का 50/– रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि में फिक्स रैमुनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महगाई वेतन(डीपी),विशेष वेतन,वोनस आदि देय नही होगा।

5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।

6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि में इन्हे कलण्डर वर्ष में केवल 15 दिना का आकशमिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक –एफ–12(9)एफ,डी,(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

वित विभाग के आदेश क्रमांक –एफ–12(9)एफ,डी,(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रैमुनेशन से नवीन पैन्सन अंशदान की कटोती नियमानुसार होगी।

7. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक आयु जाति आरक्षण सम्बन्धी व अन्य आवश्यक पमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्र की प्रति से मिलान कर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें कोई भिन्नता / संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करते हुये अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावे।

8. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई(तीन वर्षीय पाठयक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते है उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नही होने के नियुवित के पात्र नही माने गये है। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त योग्यताधारी है तो संबंधित को कार्यग्रहण न कराया जाकर मूल आवेदन पत्र टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

9. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नही है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित संस्थ प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि किये जाने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख मे रखने के उपरान्त ही उन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे।

10. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये महिला आवेदक के मामले मे यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावे। विपरीत परिस्थिति मे इस कार्यालय को अवगत करावे।

11. कार्यग्रहण करावाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि नियुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही है जिसका आवेदन पत्र पर फोटो चस्पा है।

12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश्र प्रसारित विज्ञाप्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–।।। भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णय के अध्यधीन रहेगें।

13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी ये यह शपथ पत्र लेवे की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली, अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

14. कार्यग्रहण करावाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमाक प.7(3)कार्मिक/क–06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटका सेवन नही करने सम्बन्धी वचनवंधता (न्दकमतजांपदह) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें ।

15. चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जोंच आवश्यक रूप से करें।

16. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अध्यर्थि से कार्मिक विभाग की अधि सूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.02.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधि बचनबंधिता(न्दकमतजांपदह) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Gender	Cat.	Sel. Cat	Address	Posting place	Block	Candidate photo

18. शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड ।।। सीधी परीक्षा–2018 में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओ में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयो के अध्याधीन होगी।

आदर्श आचार संहिता में राज्य चुनाव आयोग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति अनुसार उक्त आदेश जारी किये जा रहे है। नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 03.02.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचना सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस इनकी सेवा समाप्त की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर

क्रमांकःजिशिअमुमा/धौ/संस्था/2019–20/शा0शि0अनुदेशक ग्रेड तृतीय/सी0भ–2018/2019/ 987

दिनांक :– 24.01.2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक धौलपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैपऊ
6. संबंधित संस्था प्रधान ....
7. संबंधित शा0शि0 अनुदेशक ग्रेड तृतीय ....
8. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर